जनपद– चमोली

Vision 2047 (आजादी के 100 वर्ष)

उरेडा

उरेडा द्वारा वर्ष 2047 तक जनपद चमोली के अन्तर्गत घरेलू व व्यवसायिक मिलाकर कुल 30 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लाण्ट संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

आईटी और ई-गवर्नेंस चमोली

आईटी और ई-गवर्नेंस एक ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, ई-गवर्नेंस के माध्यम से शासन को सरल, नागरिक-उन्मुख, पारदर्शी, जवाबदेह और त्वरित बनाया जा सकता है। यह नागरिकों, व्यवसायों, कर्मचारियों और सरकारों को सरकारी जानकारी और सेवाएँ देने के लिए आईसीटी और ई-गवर्नेंस का उपयोग है। जिसके तहत वर्तमान प्रणाली की दक्षता में सुधार करने के साथ–साथ ही पैसा और समय बचाया जा सके।

विजन 2047 के तहत

1. सभी योजनाओं और विभागों में आईसीटी आधारित निगरानी प्रणाली।
2. सभी विभागों में ई ऑफिस सिस्टम।
3. सुशासन एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी योजनाओं का डिजिटलीकरण।
4. नागरिक केंद्रित सेवाओं की आसान, पारदर्शी और एकल खिड़की उपलब्धता।
5. विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्धता के अनुसार बेहतर मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी।
6. साइबर सिक्योरिटी एवं ए0आई0 तकनीकी का उपयोग।

विजन 2047: जिला उद्योग केन्द्र, चमोली

चमोली उत्तराखण्ड का एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध जिला है, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, पर्वतीय परिदृश्य और कृषि संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। विजन 2047 के तहत जिला उद्योग केन्द्र चमोली का उद्देश्य इस जिले के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना है, हमारा उद्देश्य चमोली को 2047 तक एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और औद्योगिक रूप से अग्रणी जिला बनाना है।

मुख्य प्राथमिकताऐं :–

1. चमोली जिले में स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रतोत्साहित करना ताकि जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें।
2. चमोली के कृषि उत्पादों जैसेः– बागवानी, औषधीय पौधों और अनाजों पर आधारित उद्योगों का विकास करना। यह जिले की कृषि को समृद्ध करने के साथ–साथ उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन के माध्यम से रोजगार सृजन करेगें।
3. चमोली में पर्यटकों के आर्कषण को ध्यान में रखते हुऐ पर्यटन से सम्बन्धित उद्योगों को बढ़ावा देना जैसैः– हास्पिटेलिटी, यात्रा एजेंसियां, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों का विपणन करना।
4. चमोली जिले में ऐसे उद्योगों की स्थापना करना जो पर्यावरण के अनुकुल हो जैसेः– नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक कृषि उत्पाद और कचरे से उर्जा उत्पन्न करने वाले उद्योग।
5. डिजिटल इण्डिया और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से उद्योगों को सशक्त बनाना ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिले।
6. चमोली में औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक आस्थानों में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।

विजन 2047 के लिए जिला उद्योग केन्द्र, चमोली की रणनीतियां :–

1. चमोली की कृषि और वन संस्साधनों से जुडें उद्योगों को बढ़ावा देना जैसेः– औषधीय पौधों का उत्पादन, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प उत्पादों की बाजार में पहचान बढ़ाना।
2. स्थानीय उद्यमियों को व्यापार और उद्योग संचालन में प्रशिक्षित करना तथा उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता ऋण सुविधायें उपलब्ध कराना।
3. चमोली के पारम्परिक उत्पादों जैसेः– ऊन, कच्चे रेशे और हस्तशिल्प के लिए एक मजबूत विपणन नेटर्वक विकसित करना ताकि उन्हें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बेहतर मूल्य मिल सके।
4. महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाऐं तैयार करना ताकि उन्हें उद्योगों में समान अवसर मिल सके और समाज में समावेशन को बढ़ावा मिले।

विजन 2047 के तहत जिला उद्योग केन्द्र चमोली का लक्ष्य है कि चमोली जिला न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बने बल्कि एक आदर्श औद्योगिक और पर्यावरणीय मॉडल के रूप में स्थापित हो।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास चमोली

प्रसव के दौरान कुशल देखभाल सुनिश्चित करने की एक प्रमुख रणनीति यह है कि सभी जन्म स्वास्थ्य सुविधाओं में हो, जहॉ प्रसूति संबधी जटिलताओं का प्रबंधन किया जा सके और जब वे उत्पन्न हो तो उनका उपचार किया जा सके। इसलिए इस सकेंतक के लिए सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करना मातृ और नवजात मृत्यु दर और रूग्णता को कम करने के लिए आवश्यक है।

जीवन भर पोषण संबधी आवश्यकताएं काफी भिन्न होती है, और इन भिन्नताओं को समझना इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र गॉव में पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा के लिए पहला संपर्क बिन्दु है।

आंगनबाड़ी के लिए कुछ आधारभूत न्यूनतम अवसंरचनात्मक आवश्यकताएॅ है, जैसे भवन क्षेत्र, बरामदा, खेल का मैदान और शौचालय आदि। यदि आंगनबाड़ियों में समुचित अवसंरचना नही है, या ठीक से कार्य नही करती तो वे बच्चों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने में समर्थ नही हो पाएंगी जिसके लिऐ विभिन्न सहायक और पर्यवेक्षीय भूमिकाएं निभाने की आवश्यकता है कि आंगनबाड़ी समुचित ढंग से कार्य करें।

विजन 2047

1– सत् प्रतिशत संस्थागत प्रसव कराना।
2– कुपोषित दर कम करना।
3– आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन शत प्रतिशत विभागीय भवनों में करना।

उच्च शिक्षा

1– महाविघालयों में अधिकतम व्यावसायिक पाठ्यक्रम सृजित करना।

2– छात्र–छात्राओं को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करना।

3– छात्र–छात्राओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना।

4– छात्र–छात्राओं में राष्ट्रीय एकता, देशप्रेम, भारतीयता को बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास करना।

5– विकसित भारत हेतु देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान हेतु छात्र–छात्राओं को रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करना।

जिला क्रीड़ा विभाग

विज़न 2047 (भारतीय स्वतंत्रता के 100 वर्ष) के अन्तर्गत सीमान्त जनपद चमोली में खेलों के क्षेत्र में संसाधनों और बुनियादी ढांचे की कमी है। यहां के युवा विभिन्न खेलों में काफी रुचि रखते हैं। युवाओं में तैराकी, क्रिकेट, कुश्ती, कबड्डी, बैडमिंटन आदि का जुनून साफ नजर आता है, अगर इन प्रतिभाओं को सही मार्गदर्शन और उचित कोचिंग का अवसर प्राप्त हो तो ये प्रतिभाएं जनपद/राज्य/देश का नाम रोशन कर सकते है।

विजन 2047

1. विभिन्न खेल गतिविधियों की सुविधाओं से युक्त उन्नत खेल स्टेडियम।
2. कोच सहित खेल छात्रावास
3. एथलेटिक्स प्रशिक्षण के लिए सिंथेटिक 400 मीटर ट्रैक
4. स्विमिंग पूल
5. एडवांस जिम्नेजियम हाल
6. वेट ट्रेनिंग हॉल
7. प्रशिक्षक के साथ योग ध्यान एवं वेलनेस सेन्टर

लघु सिंचाई विभाग

लघु सिंचाई विभाग द्वारा सामूहिक सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर जनपद की असिंचित भूमि को 80 प्रतिशत सिंचित करने एवं जल संरक्षण एवं जल संवर्धन का कार्य किए जाने एवं जनपद अंतर्गत 200 सोलर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।

कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास चमोली

जनपद चमोली भौगालिक दृष्टि से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र है। जनपद में भू–धंसाव, बादल फटने, सड़क दुर्घटनाओं तथा जंगलों में आग लगने आदि कारणों से प्रत्येक वर्ष जानमाल एवं कृर्षि को नुकसान होता है। जनपद चमोली में बद्रीनाथ एवं हेमकुण्ड साहिब धाम स्थित है, जिसमें प्रत्येक यात्रा सीजन में तीर्थ यात्रियों एवं सैलानियों की भीड़ रहती है, जो स्थानीय जनता की आय का मूल श्रोत है। सक्षम एवं इच्छुक पूर्व सैनिकों जिनकी आयु 35 से 50 वर्ष हो, का आपदा एवं पर्यटन प्रबंधक में सहायता हेतु वोलिन्टियर्स/मानदेय की व्यवस्था के अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इनसे आपदा एवं पर्यटन प्रबन्धन हेतु जिला प्रशासन के पास अनुशासित एवं सेवाकाल के दौरान पूर्व प्रशिक्षित वर्कफोर्स उपलब्ध होगी।

शिक्षा विभाग, चमोली

17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से लक्ष्य 4 'समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना' है। यह लक्ष्य सुनिश्चित करता है कि 2030 तक सभी बालकों और बालिकाओं को मुफ्त प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षा मिले। इसका उद्देश्य किफायती व्यावसायिक प्रशिक्षण तक समान पहुंच प्रदान करना, लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य सभी असमानताओं को खत्म करना और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना है।

देश और राज्य के साथ–साथ जनपद चमोली भी 2030 तक एसडीजी लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। इसके साथ ही वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार प्रौद्योगिकी और 21वीं सदी के कौशलों को ध्यान में रखते हुए एक विजन दस्तावेज तैयार किया गया है।

विजन तत्व

1. सभी बच्चों को मुफ्त, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा।
2. पहुंच/स्कूल के बुनियादी ढांचे पर ध्यान।
3. समानता।
4. समावेशी शिक्षा
5. आईसीटी हस्तक्षेप।
6. नवाचार परियोजनाएँ।
7. रोजगारोन्मुख कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा तक पहुँच।
8. छात्र लब्धि का अभिलेखीकरण व विश्लेषण।
9. नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन।

लक्ष्य

1. सभी बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच। सकल नामांकन अनुपात **(GER)** की शत प्रतिशत प्राप्ति।
2. सभी बच्चों को आयु के अनुरूप प्री–स्कूल से ग्रेड 12 तक गुणवत्तापूर्ण समग्र शिक्षा प्राप्त कराने के लिए सार्वभौमिक पहुँच और अवसर सुनिश्चित करना। शुद्ध नामांकन अनुपात **(NER)** की शत प्रतिशत प्राप्ति।
3. बालिकाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यकों और प्रवासी समूहों सहित सभी अपवंचित समूहों की पहुँच, नामांकन, प्रतिधारण और सीखने के परिणामों में सुधार करना।
4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की पहचान, शिक्षकों का प्रशिक्षण, विशेष शिक्षकों की उपलब्धता, बुनियादी ढाँचा और आईसीटी को समावेशी बनाना और जागरूकता कार्यक्रम।
5. एनईपी 2020 के अनुरूप तकनीकी के उपयोग से शिक्षण–अधिगम और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करना साथ ही तकनीकी हस्तक्षेप से शिक्षण तैयारी और व्यावसायिक कौशल विकास को समर्थन देना व शैक्षिक पहुंच को बढ़ाने पर जोर देना।

6. गुणवत्ता में सुधार, पाठ्यक्रम सुधार, नवाचारी पैडागॉजी, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षक संसाधन सामग्री, आईसीटी एकीकरण, अधिगम क्षति (लर्निंग लॉस) को कम करने और शिक्षा की पहुंच के लिए छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों से संबंधित व्यावहारिक नवाचारी प्रस्तावों को प्रोत्साहित करना एवं लागू करना।
7. एनईपी 2020 के विजन के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के कवरेज को मजबूत और विस्तारित करना।
8. प्रत्येक छात्र के प्रवेश, उपस्थिति, मूल्यांकन आदि से संबंधित प्रक्रियाओं सहित शैक्षिक योजना, प्रबंधन और प्रशासन को डिजिटली सुरक्षित रखना एवं इसके आधार पर कार्ययोजना तैयार करना।
9. नई शिक्षा नीति का समग्र क्रियान्वयन करना।

कार्रवाई के बिंदु

1. प्राथमिक शिक्षा तक शत– प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक गांव में कम से कम 1 प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर पहुंच बढ़ाने के लिए उन क्षेत्रों में परिवहन सुविधा का विस्तार किया जाएगा जिन निर्धारित क्षेत्रों में स्कूल उपलब्ध नहीं हैं या नए स्कूल की स्थापना संभव नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर शिक्षक–छात्र अनुपात हेतु 1:30 का लक्ष्य रहेगा। साथ ही प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 02 शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
2. उचित नीतियां बनाकर उन बच्चों को भी स्कूल तक समान पहुंच प्रदान की जाएगी जिनके लिए इसमें किसी भी प्रकार की बाधा प्रस्तुत होती है। सभी स्कूलों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। प्रस्तावों में नए/अपग्रेड किए गए स्कूल, नए विषयों को शामिल करना, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, शौचालयों, पेयजल और हाथ धोने की सुविधाओं आदि में अंतर को पाटना (**Bridging Gap**) शामिल होगा। प्रत्येक विकासखण्ड में बालक व बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
3. लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता और स्वास्थ्य, किशोर शिक्षा (मादक पदार्थों के प्रयोग की रोकथाम, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, प्रजनन स्वास्थ्य और एचआईवी की रोकथाम, हिंसा और चोटों से सुरक्षा, इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना

आदि विषयों पर) के लिए अभिनव और आवश्यकता अनुकूल परियोजनाएं, करियर काउंसलिंग, जीवन कौशल आदि का प्रस्ताव और प्रति वर्ष समीक्षा की जाएगी।

4. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की पहचान, समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण, विशेष शिक्षकों की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे और आईसीटी को समावेशी बनाने और जागरूकता कार्यक्रम के लिए एक व्यापक कार्य योजना (वार्षिक गतिविधि कैलेंडर) तैयार की जाएगी।
5. सभी उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को हर साल समयबद्ध तरीके से 'आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास और आईसीटी उपकरणों' से सुसज्जित किया जाएगा। सभी माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना की जाएगी एवं सभी कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। आईसीटी के दक्षतम अनुप्रयोग हेतु शिक्षको का अभिमुखीकरण एवं **MOOCs** के माध्यम से प्रशिक्षण। सभी माध्यमिक विद्यालयों में स्टेम लैब की स्थापना की जाएगी। विज्ञानेत्तर विषयों में भी आधुनिक प्रयोगशालाओं यथा 'भाषा प्रयोगशाला', 'गणित प्रयोगशाला' की स्थापना की जाएगी।
6. उद्योगों के सहयोग से व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाना। एनईपी 2020 में परिकल्पित 50 प्रतिशत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आगामी वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उद्यमिता, संचार कौशल जैसे सॉफ्ट स्किल आदि के पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन मोड/मिश्रित मोड में प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा। उच्च प्राथमिक

स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही कोडिंग एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे उभरते क्षेत्रों को पेशेवर रूप में अपनाने के इच्छुक छात्रों को इनकी शुरूआती व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

7. विद्या समीक्षा केन्द्र, परख एवं UDISE+ के माध्यम से प्रत्येक छात्र की लब्धि आकलित की जाएगी एवं विश्लेषण के उपरान्त छात्र एवं अभिभावक को सुझाव प्रदान किए जाएंगे। साथ ही विद्यालय के संसाधनों एवं शिक्षकों के सेवा अभिलेखों को से सम्बन्धित इन पोर्टल्स के तन्त्र को मजबूत किया जाएगा एवं इसके आधार पर ही कोई शैक्षिक/प्रशासनिक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
8. नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु तन्त्र विकसित कर आगामी वर्षों में नई शिक्षा नीति का पूर्ण क्रियान्वयन कर लिया जाएगा।

आपदा प्रबन्धन

1- **Disaster management system with advance safety equipments.**

आपदा प्रबन्धन तन्त्र को मजबूत किये जाने के प्रयास किये जा रहे है वर्ष 2023 से जनपद अन्तर्गत जनपद आपदा मोचन दल (डी0डी0आर0एफ0) का गठन किया गया है। जिसके तहत् 26 स्वंयसेवको को एन0डी0आर0एफ0 एंव नेहरू पर्वतारोहण सस्थान उत्तरकाशी से प्रशिक्षित किया गया है तथा उन्हे जनपद की सम्बेदनशील तहसीलो में तैनात किया गया है। उक्त दलो हेतु आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी उपकरण दिये जाने प्रस्तावित है।

2- **Fully Functional DDMA.**

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को पूर्ण रूप से क्रियाशील किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

3- **Flood resilience structure in all villages.**

पर्वतीय क्षेत्रो में बाढ की सम्भावनाये न्यून रहती है फिर भी बाढ से बचने हेतु सुरक्षित स्थानो पर भवन बनाये जाने हेतु स्थानीय व्यक्तियो को जागरूक किया जायेगा।

4- **Complusory Disaster management subjects for public awareness and self defense development from school education.**

स्कूलो में आपदा प्रबन्धन को एक विषय के रूप में सम्मलित किया गया है जिसे और अधिक विस्तार दिया जायेगा।

5- **Water management by Dams and canals and make it for irrigation use with farmers.**
जनपद अन्तर्गत निर्मित बांधो अथवा निर्माणाधीन बांधो से सिचाई हेतु जल की व्यवस्था किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार की जायेगी।

6- **Every village having Apda Mitras volentiers to deal with disasters and rescue.**
जनपद अन्तर्गत पूर्व में 98 व्यक्तियो को आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। जनपद अन्तर्गत प्रत्येक गांव से आपदा मित्रो का चयन करते हुए उन्हे प्रशिक्षित किया जायेगा।

7- **Updated IDRN (Integrated disaster resource network).**
आई0डी0आर0एन0 वेबसाईट का समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

8- **Make Disaster resilience abilities to deal with pandemic situations like covid, cyclone, drought, health wave, cold wave etc.**
महामारियों से निपटने के लिए क्षमता विकास किया जाना प्रस्तावित है।

9- **Improved health sector for ready in advance to fight against disasters and panedemics.**
आपदा ओर महामारियों से लडने के लिए उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधायें विकसित की जायेंगी।

पर्यटन विभाग, चमोली

''विजन 2047'' पर्यटन विभाग का लक्ष्य उत्तराखण्ड राज्य को विश्व मानचित्र पर स्वयं को आध्यात्मिक, सतत् धारणीय विकास, साहसिक और सौहार्दपूर्ण पर्यटन में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है, राज्य का अद्वितीय हिमालयन भौगोलिक स्वरूप एवं अनूठी विरासत होने के कारण यह अपनी तरफ अनेकानेक पर्यटकों को आकर्षित करता है। जिसमें की पर्यटन विभाग चमोली का उद्देश्य स्थानीय जनता को रोजगार, पर्यावरणीय संरक्षण के साथ–साथ 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को परिलक्षित करना है, साथ ही कुछ अन्य क्षेत्र जैसे चारधाम तीर्थाटन, योग कलाओं, इको–टूरिज्म एवं साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए जनपद चमोली को विकासशील जनपद से विकसित जनपद बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

1. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजनान्तर्गत योजना प्रारम्भ से आतिथि तक वाहन मद में 366 व गैर वाहन मद में 351 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। ''विजन 2047'' के सापेक्ष उक्त के अतिरिक्त वाहन मद में 383 व गैर वाहन मद में 367 का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
2. पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम–स्टे) विकास योजनान्तर्गत योजना प्रारम्भ से आतिथि तक 141 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। ''विजन 2047'' के सापेक्ष उक्त के अतिरिक्त होम–स्टे योजनान्तर्गत 540 का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

3. ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर होम–स्टे अनुदान योजनान्तर्गत योजना प्रारम्भ से आतिथि तक 128 लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। ''विजन 2047'' के सापेक्ष उक्त के अतिरिक्त ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर होम–स्टे अनुदान योजनान्तर्गत 736 का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

खाद्य आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामले विभाग चमोली

1. सभी पात्र उपभोक्ताओं को प्रति माह समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति कराना।
2. शत् प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित करना।
3. गैस एंव खाद्यान्न आपूर्ति/आवश्यक वस्तुओं को प्रत्येक क्षेत्र तक बिना किसी समस्या के समय पर उपभोक्ताओ को उपलब्ध कराना।
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत निर्धारित खाद्य उत्पादो के साथ ही मूलभूत खाद्य सामाग्री यथा तेल, मसाले आदि को भी शामिल किया जाना।
5. खाद्य सामाग्री के मूल्यों का समय–समय पर नियंत्रण रखना।
6. उपभोक्ताओं को राशन कार्ड सम्बन्धि समस्या(यूनिट एड, निरस्तीकरण) का समय पर निराकरण करना।

सिंचाई विभाग चमोली

जनपद चमोली राजकीय सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कुल 199 नहर निर्मित हैं जिनमे से 70 प्रतिशत असिंचित भुमि को सिंचित करने का लक्ष्य, जल संरक्षण एंव जल संवर्द्धन का कार्य किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्राम्य विकास विभाग चमोली

महात्मा गांधी नरेगा : विजन 2027

(आजादी के 100 वर्ष की उपलब्धि पर ग्रामीण चमोली)

जैसा कि सभी को विदित है कि वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगान्तर्गत अकुशल कार्य के इच्छुक श्रमिक परिवार को मनरेगा योजनान्तर्गत 100 दिन का रोजगार प्रदान करते हुए उनकी आजीविकापरक परिसम्पत्तियों का निर्माण कराया जाता है। मनरेगा में परिसम्पत्तियों के निर्माण को 04 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

1. प्राकृतिक संसाधन सम्बन्धी कार्य (एन0आर0एम0 कार्य)
2. व्यक्तिगत श्रेणी के कार्य
3. स्वयं सहायता समूहों सम्बन्धी निर्माण कार्य
4. ग्रामीण परिसम्पत्ति निर्माण सम्बन्धी कार्य

विजन 2047 हेतु मनरेगा की वर्तमान स्थिति –

- कुल विकास खण्ड– 09
- कुल ग्राम पंचायतें– 610
- कुल पंजीकृत परिवारः– 77654
- कुल पंजीकृत श्रमिकः– 121962

1– प्राकृतिक संसाधन सम्बन्धी कार्य (एन0आर0एम0 कार्य) इस श्रेणी के अन्तर्गत जनपद में प्रतिवर्ष औसतन 2000–2500 कार्य सम्पादित करवाये जाते हैं, जिनमें मुख्यतः जल संचय/संवर्द्धन, सिचाई गूल, भूमि सुधार, वनीकरण इत्यादि कार्य किये जाते हैं। जनपद द्वारा लक्ष्यित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक ग्राम सभा में न्यून्तम 5–5 कार्य जल संरक्षण के लिए प्राथमिकता क्रम में किये जायेंगे। इसमें दीर्घगामी लाभ हेतु ग्रामीणों को जल संरक्षण, पौधरोपण एवं वृक्षारोपण के माध्यम पेयजल आपूर्ति के साथ उनकी बंजर पडी भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाना है। साथ ही इसका प्रमुख लाभ यह भी रहेगा कि ग्रामीणों को अपने ही गांव में पर्याप्त जल आपूर्ति, शुद्ध वायुमण्डल एवं कृषि भूमि प्राप्त होने पर पलायन पर रोक लगने के साथ ही रिवर्स माईग्रेशन होगा।

2– व्यक्तिगत श्रेणी के कार्य:–योजना के मार्गनिर्देशानुसार जनपद में कुल कार्यों का 35 प्रतिशत कार्य व्यक्तिगत श्रेणी के अन्तर्गत किया जाना अनिवार्य है, जबकि जनपद में लगभग 45 प्रतिशत कार्य प्रतिवर्ष (औसतन 4000) कार्य इस श्रेणी में किये जाने का विजन रखा गया है। इस प्रकार 77654 परिवारों हेतु अगले 23 वर्षों में 23'4000त्र92000 कार्य सम्पादित करवाये जा सकेंगे। इनक कार्यों की प्रमुख विशेषता यह है कि ये व्यक्तिगत स्वामित्व वाले होगे, जिनसे सम्बन्धित परिवार अपनी आर्थिकी मजबूत करेगा। जनपद में प्रमुखता से पशु आश्रय स्थल, मुर्गी आश्रय स्थल, बकरी आश्रय स्थल, मत्स्य पालन, कृषि हेतु भूमि विकास, बागवानी इत्यादि हैं, जिसमें रेखीय विभाग तकनीकी एवं सामग्री आपूर्ति करते हैं, जबकि मनरेगा से श्रमांश एवं परिसम्पत्ति सृजित की जाती है।

उक्त रणनीति के अन्तर्गत कार्य करते हुए वर्तमान में 6593 आजीविका पैकेज ग्रामीणों को उपलब्ध करवाते हुए उनकी आजीविका संवर्द्धन का कार्य किया जा चुका है तथा भविष्य में लगातार लाभार्थियों का प्राथमिकता क्रम निर्धारित करते हुए शतप्रतिशत पंजीकृत परिवारों को योजना से लाभान्वित किये जाने की रणनीति तैयार की जा रही है।

3— स्वयं सहायता समूहों सम्बन्धी निर्माण कार्य :— वर्तमान में सम्पूर्ण जनपद के ग्रामीण परिवारों को एन0आर0एल0एम0 योजना के अन्तर्गत समूहों से जोडते हुए उनकी आजीविका संवर्द्धन का कार्य गतिमान है। इसी क्रम में मनरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के लाभार्थी जो कि उत्तम प्रकृति का उत्पादन करते हुए ओर अधिक लाभार्जन बढाना चाहते हैं, उनके लिए कलस्टर विकास एप्रोच एवं वर्क शैड उपलब्ध करवाये जाने की योजना तैयार की जा रही है। इसके अन्तर्गत जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में वहॉ की भोगोलिक परिस्थतियों के अनुरूप उत्पादित होने वाली सामग्री एवं विपणन हेतु बाजार की उपलब्धता सम्बन्धी मानकों के चिन्हांकन का कार्य गतिमान है, जिसे भविष्य में एक कलस्टर के रूप में विकसित किये जाने की योजना है। वर्तमान में जनपद में मनरेगा योजनान्तर्गत्त 07 कलस्टरों का विकास किया जा चुका है, जिसमें 04 चाय बागान, 01 डैमस्क गुलाब, 01 मत्स्य एवं 01 दुग्ध सम्बन्धी है।

4— ग्रामीण परिसम्पत्ति निर्माण सम्बन्धी कार्य :— जनपद में इस श्रेणी के अन्तर्गत प्रमुख रूप से सडक/सम्पर्क मार्ग, चैकडैम निर्माण एवं भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं। इस श्रेणी में योजना के मार्गनिर्देशानुसार कुल व्यय का अधिकतम 40 प्रतिशत व्यय किया जा सकता है। जनपद में गत 10 वर्षों में औसतन 60—65 करोड रू0 व्यय किया जाता है, अर्थात औसतन इस श्रेणी में जनपद प्रतिवर्ष 24—25 करोड का व्यय कर सकता है। गत वर्षों के आंकडों को केन्द्रित करते हुए आगामी 23 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में लिंक रोड एवं कच्चे रास्तों का जाल बिछाये जाने सहित भू—स्खलन वाले क्षेत्रों की पहचान कर भू—स्खलन के प्राथमिक उपचार की योजना तैयार की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत में आंगनवाडी एवं पंचायत भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं।

एन0आर0एल0एम0 योजना विजन–01

उद्देश्य– जनपद चमोली के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायत में सभी सेक सूची एवं पीआईपी गरीब परिवारों को पात्रता मानक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 तक संतृप्त किया जाना है। जिसके सापेक्ष जनपद द्वारा पाये गये लगभग 39,000 पात्र परिवारों को 5686 समूह, 624 ग्राम संगठन एवं 42 संकुल स्तरीय संघ गठित करते हुए संतृप्त किया जा चुका है। भविष्य में भी अगर कोई पात्र परिवार पाया जाता है तो उक्त परिवार को भी समूह के माध्यम से ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ में जोड़ा जायेगा। उक्त के अन्यथा भी स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ हेतु भवन का निर्माण मनरेगा कंवरजेंस के माध्यम से प्राप्त करवाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो सरकारी भवन विभाग द्वारा उपयोग नहीं किये जा रहे है, उक्त विभाग के साथ एम0ओ0यू0 कर भवन उपलब्ध करवाया जा रहा है। भविष्य में भी एन0आर0एल0एम0 का यह प्रयास रहेगा की सी0बी0ओं0 हेतु भवन उपलब्ध करवाया जाय।

सामाजिक विकास– स्वय सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ में जुड़े परिवारों के सदस्यों की महिलाओं को मंचन, गोष्ठियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अनेक प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए संर्वागीण (शारीरिक, बौधिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक एवं अन्य) विकास किये जा रहे है। जिसे भविष्य में भी यथावत किया जायेगा।

एन0आर0एल0एम0 योजना विजन–02

विभिन्न योजनाओं द्वारा आर्थिक विकास– समूह में जुडाव के पश्चात स्वय सहायता समूह को पात्रता पूर्ण करते हुए निर्धारित समय के पश्चात सहायता हेतु प्रति समूहों को आर0एफ0 की धनराशि (10000, 20000 पूर्व में) एंव 25000 रुपये (वर्तमान में) वितरित की जा रही है साथ ही कलस्टर एवं ग्राम संगठन के माध्यम से प्रति समूहों को सामुदायिक निवेश फंड के रूप में 55000 रूपये, विशेष समूदाय अनु0 जाति, अनु0 जन0 जाति हेतु 82500 रूपये की धनराशि एवं 75000 (वर्तमान में सभी समूहों को) आजीविका संवर्धन हेतु वितरित की जा रही है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंको के माध्यम से कम ब्याज दर पर सी0सी0एल प्रदान किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त समूह की महिलाओं को विभिन्न विभागों से कंवर्जेस के माध्यम से पॉलीहाउस, मुर्गीवाडा, बकरीवाडा, गौशाला सुधार, हर्बल प्लांट, फलदार वृक्ष उद्यानीकरण, कृषि यंत्र, मतस्य पालन, डेयरी, मौनपालन, मुर्गीपालन, चारधाम यात्रा आउटलेट, मोबाईल बैन, पहाडी रसोई, सब्जी के बीज इत्यादि के रूप से आजीविका संवर्धन की जा रही है। उक्त हेतु जनपद की भविष्यगत योजना के अन्तर्गत अन्य समूहों को विभिन्न विभागों के साथ कंवर्जेस से जोडते हुए प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग कर आजीविका के का अवसर प्रदान किया जायेगा।

1. **एस0वी0ई0पी0–** के अन्तर्गत जनपद द्वारा विकासखण्ड जोशीमठ के विशेष समुदाय की 620 महिलाओं को उद्यम स्थापित करने हेतु कुल 1,91,71,166 रूपये ऋण प्रदान किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप समूह की महिलाओं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए भोजपत्र केलिग्राफी, दन, कालीन, साल, पाश्मीन आदि विभिन्न प्रकार के ऊनी वस्त्र तैयार किये जा रहें है। भविष्य में उक्त स्थानीय महिलाओं के लिए ऊनी वस्त्र उद्योग का कार्य शतत आजीविका का साधन के रूप में उभरकर आयेगा।
2. **एम0के0एस0पी0–** उक्त योजना के अन्तर्गत जनपद द्वारा विकासखण्ड जोशीमठ में सर्वे कराते हुये समूह की 1511 महिलाओं को आर्गेनिक कृषि में पंजीकरण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप समूह की महिलाओं को खेती में अधिक उपज के रूप में लाभ प्राप्त हो रहा है। आरर्गेनिक खेती करने से भूमि को भी नुकसान नहीं होता है तथा भूमि लम्बे समय तक उपजाऊ रहती है।
3. **सी–बक्थौन (अमेस)–** एन0आर0एल0एम0 द्वारा सी–बक्थौन के आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तर पर भ्त्क् के वैज्ञानिक के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जनपद से समस्त अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। उक्त कार्यशाला में सी–बक्थौन से बनने वाली विभिन्न उत्पादों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी और भविष्य में महिलाओं द्वारा किस प्रकार इसका उपयोग किया जाय जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

4. पी0एम0एफ0एम0ई0– उक्त योजना के अन्तर्गत विकासखण्डों में समूह की महिलाओं के द्वारा किये जा रहे इच्छित खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों के अनुसार कार्य का चयन कर प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जा रहा है तत्पश्चात सरकार द्वारा अनुमोदन कर समूह की महिलाओं की मांग के अनुसार प्रति समूह 40,000 रूपये की सहायता धनराशि प्रदान की जाती है। जिससे समूह की महिलाओं द्वारा खाद्य प्रसंस्करण का कार्य जैसे– जूस, अचार, फूड प्रोसेसिंग, बेकरी, इत्यादि कर आत्म निर्भर होते हुए आजीविका बढायी जा रही है।
5. रीप परियोजना– रीप परियोजना के अन्तर्गत जनपद द्वारा कलस्टर के माध्यम से समूह की गरीब महिलाओं को अल्ट्रापूवर पैकेज के रूप में 35000 रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता दी जा रही है। कलस्टर स्तर पर महिलाओं को सामुहिक व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से कम ब्याज दर पर लॉन उपलब्ध कराया जा रहा है।
6. प्रशिक्षण– एन0आर0एल0एम0 योजना के अन्तर्गत जनपद द्वारा समूहों की महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक स्तर मजबूत करने हेतु पशु सखी, ए–हेल्प सखी, सी0आर0पी0, सीनीयर सी0आर0पी0, कम्यूनिटी ऑडिटर, एफ0एल0–सी0आर0पी0, बैंक सखी, जेण्डर सखी इत्यादि प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

उक्त विजन–02 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्ययोजना के सापेक्ष जनपद द्वारा लक्ष्य रहेगा की वर्तमान मे दी गयी योजना से लाभान्वित समूह की महिलाओ की आय लखपति दीदी योजना के अंतर्गत सतत की जा सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

1. प्रधानमंत्री आवास योजना ;ग्रामीणद्ध का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत सभी आवास विहीन लाभार्थियों को वर्ष 2047 तक पक्के मकान उपलब्ध कराना है ।
2. एस.ई.सी.सी.सर्वे डाटा–2011 के अनुसार 15900 वंचित परिवारों में से समस्त पात्र परिवारों को वर्ष 2017–18 तक आवास स्वीकृत कर लाभान्वित कर दिया गया है।
3. 5281 परिवार जो एस.ई.सी.सी.सर्वे डाटा–2011 में सम्मिलित न होने के कारण छूट गये थे उन्हें वर्ष 2023–24 तक लाभान्वित किया गया है ।
4. वर्तमान में पुनः कुछ पात्र परिवार आवास की सुविधा से लाभान्वित होने से रह गये हैं, उनके चिन्हीकरण/सर्वे का कार्य किया जा रहा है । जिन्हें वर्ष 2047 तक लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है ।
5. स्वीकृत आवास के लाभार्थियों को कन्वर्जेंस के तहत् मनरेगा से 95 मानव दिवस, शौचालय,पानी, विद्युत संयोजन एवं एल.पी.जी. गैस की सुविधा प्रदान की जाती हैं।

चिकित्सा विभाग चमोली

जनपद चमोली में वर्तमान में कुल 159 चिकित्सा इकाईयां अवस्थित है, जिसमें 01 जिला चिकित्सालय, 01 उप जिला चिकित्सालय, 01 महिला बेस चिकित्सालय, 05 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (टाईप बी), 34 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (टाईप ए), 112 उपकेन्द्र सम्मिलित हैं।

जनपद में वर्तमान में 35 चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ), 111 चिकित्सा अधिकारी (नियमित एम0बी0बी0एस0), 105 चिकित्सा अधिकारी (बॉण्डधारी) कार्यरत हैं।

विजन 2047

1. AI से अल्ट्रासाउण्ड, एक्स–रे, सी0टी0 रिपोर्ट का परीक्षण हो जाये, जिससे मानव संसाधन की आवश्यकता कम हो।
2. AI की मदद से Remote Robotic Surgry का संचालन हो सके जिससे दुर्गम क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर हो सकें।
3. District Should Have a Medical College.
4. Medical and Paramedical Training institute for manpower strengthen.
5. Mother and Child care wing in all CHC.
6. Special care unit for dealing with pandemic situation like Covid-19 etc.
7. High Level testing facilities.
8. Online monitoring system for patients and medicine tracking.
9. Third party evaluation system for performance analysis.

कृषि विभाग चमोली

1. Multiple cropping.
2. High yielding varieties of different crop.
3. Inter cropping.
4. Pest and disease surveillance.
5. Reduce post-harvest losses.
6. Value addition.
7. Increase water use efficiency by using drip and sprinkler irrigation.
8. Better soil health management by adopting organic and natural farming.
9. Integrated weed management by eradication of Lanatana camara and Eupetoriumas well as in preparation of Bio char and compost from the same.
10. High value crop- Black wheat and expansion of red rice.
11. Selection of local crop and variety for better combat to climate change.

डेरी विकास विभाग चमोली

सुशासन सप्ताह–2024 के अन्तर्गत विभाग से सम्बन्धित "विजन–2047" तक का प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में निम्नलिखित बिन्दु पर विभाग की ओर से "विजन–2047" के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है।

1. सहायक विकास अधिकारी डेरी (ADO DAIRY) की विकास खण्ड स्तर पर नियुक्ति की आवश्यकता है जिससे अन्तिम व्यक्ति तक विभाग की योजनाओं को पहुचाने में सहायता मिलेगी।
2. दुग्ध संग्रहण का कार्य अभी मात्र प्रा0दुग्ध समिति के माध्यम से किया जा रहा है। उपार्जन में वृद्धि हेतु सीधे जन सामान्य से दुग्ध (प्रा0दुग्ध समिति के सदस्य की बाध्यता न हो) लिया जाए।
3. दुग्ध उत्पाद जैसे चीज, योगर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद के लिए विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाय। जिससे राष्ट्रीय एवं अर्न्तराट्रीय स्तर पर उत्पादो का विपणन किया जा सकें।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम चमोली

पेयजल निगम, गोपेश्वर – जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत इस शाखा को 193 ग्राम आवंटित हैं। जिसमें प्रथम चरण में 193 पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है एवं जल जीवन मिशन कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अन्तर्गत 104 पेयजल योजनाऐं प्रस्तावित हैं जिनमें से वर्तमान तक 89 पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 15 पेयजल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है जिनको मार्च 2025 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। उपरोक्त के अतिरिक्त विकासखण्ड पोखरी के नगर पंचायत क्षेत्र हेतु अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत पोखरी पम्पिंग पेयजल योजना का कार्य गतिमान है। उक्त के अतिरिक्त जनपद चमोली के अन्तर्गत इस शाखा द्वारा 04 विकास खण्ड में पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है जिसमें 06 नगर क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल विस्तारीकर / पुनर्गठन तथा स्रोत संवर्द्धन से सम्बन्धित कार्य किया जाता है जिसमें नगरीय / ग्रामीण क्षेत्रों की अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं का रखरखाव एवं आम जनमानस के मांग के अनुसार शुद्ध पेयजल की उपलब्ध कराना है जबकि सीमांत क्षेत्र जोशीमठ भौगोलिक दृष्ठि से संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्र है जहां पर शीत ऋतु में अत्यधिक बर्फवारी होने के कारण पेयजल लाईनें क्षतिग्रस्त होती है जिसे तत्काल रूप से मरम्मत कार्य कर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। नगर क्षेत्र जोशीमठ में भू–धसाव होने के दृष्टिगत सीवरेज एवं ड्रनेज का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

पेयजल निगम, कर्णप्रयाग– जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत इस शाखा को 388 ग्राम आवंटित हैं। जिसमें प्रथम चरण में 171 पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है एवं जल जीवन मिशन कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अन्तर्गत 143 पेयजल योजनाऐं प्रस्तावित हैं जिनमें से वर्तमान तक 87 पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 56 पेयजल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है जिनको मार्च 2025 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है। उक्त के क्रम में वर्ष 2047 तक

ग्रामों की जनसंख्या वृद्धि होने की पूर्ण संभावना है जिस कारण योजनाओं के स्रोत संवर्धन जैंसे महत्वपूर्ण कार्य किये जाने एवं ग्रामीणों को पूर्णतः जल से आच्छादित करना हमारा उद्देश्य रहेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त विकासखण्ड़ कर्णप्रयाग के नगर पालिका क्षेत्र हेतु अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्णप्रयाग पम्पिंग पेयजल योजना स्वीकृत है जिसके निविदा प्रक्रिया गतिमान है तथा विकासखण्ड़ गैरसैंण में E.A.P. (World Bank) कार्यक्रम के अन्तर्गत भराड़ीसैंण क्षेत्र में गैरसैंण एण्ड़ एडजोइनिंग एरिया पम्पिंग पेयजल योजना एवं विकासखण्ड़ थराली में थराली नगर पंचायत पेयजल योजना प्रस्तावित हैं, नगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजनाऐं 30 वर्षो हेतु बनायी जाती हैं, जिससे उक्त क्षेत्र के समस्त नगरवासियों को पूर्णतः जल से आच्छादित करना हमारा उद्देश्य रहेगा।

पेयजल निगम, चमोली के विजन 2047 हेतु मुख्य लक्ष्य–

1. वर्ष 2047 तक जनसंख्या वृद्धि के कारण बड़े हुये ग्रामीण परिवारों को 55 LPCD की दर से पेयजल उपलब्ध कराया जाना है।
2. वर्ष 2047 तक जनसंख्या वृद्धि के कारण शहरी क्षेत्रों में बड़े हुये परिवारों एवं सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्रों को 135 स्च्ब्क की दर से पेयजल उपलब्ध कराया जाना है।
3. ग्लोबल वॉर्मिंग से जो स्रोत सूख रहे हैं वर्ष 2047 तक उन पेयजल स्रोतों के संरक्षण हेतु चाल–खाल तथा वृक्षारोपण से स्रोत रिचार्ज किया जाना है।
4. वर्ष 2047 तक सम्पूर्ण नगर क्षेत्रों को पेयजल योजना से लाभान्वित किया जाना है।

पंचायतीराज विभाग चमोली

जनपद चमोली के 610 ग्राम पंचायतों में विजन 2047 तक निम्न गतिविधियॉ का लक्ष्य रखा गया है।

1. गरीबी मुक्त और आजिविका युक्त ग्राम बनाना– सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2047 तक प्रत्येक ग्राम को गरीबी मुक्त करना तथा सभी ग्रामीणों को रोजगार के अवसर पैदा करना, जिससे उनकी आय में वृद्वि हो सकें ।
2. स्वस्थ गॉव– सभी ग्राम पंचायतों में वर्ष 2047 तक स्वस्थ गॉव की अवधारणा के तहत सभी नागरिकों को बिमारियों से मुक्त करना, जिससे सभी नागरिक स्वस्थ रहे ।
3. बाल हितैषी गॉव– यह सुनिश्चित करना कि बच्चे पूर्ण विकसित होने तक अपने अस्तित्व विकास में भागीदारी और सुरक्षा के अधिकारों का आनन्द लेने में सक्षम बने ।
4. पर्याप्त जल मुक्त गॉव– सभी घरों में नल से जलपूर्ति की जाए ।
5. स्वच्छ एवं हरित गॉव– हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक ऐसे गॉव का विकास करना जो प्राकृतिक हरियाली से परिपूर्ण हो, जहॉ अक्षय ऊर्जा का उपयोग स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण तथा संतुलित जलवायु हो ।

6. आत्मनिर्भर बुनियादी ढाचें वाला गॉव–आत्मनिर्भर बुनियादी सेवाओं तक पहुॅच सुनिश्चित करना ।

7. सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित गॉव–सभी ग्रामवासियों को सामाजिक न्याय व सुरक्षा निहीत की जाए ।

8. सुशासन वाला गॉव– प्रत्येक गॉव सुशासन की ओर बडे ।

9. महिला हितैषी गॉव–लैंगिक समान्ता प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करें और महिलाओं के लिए सुरक्षित वार्तावरण का निर्माण करें, ताकि उन्हें सशक्त बनाया जा सकें ।

10. जनपद चमोली के 610 ग्राम पंचायतों में संचालित पंचायत घरों में 5ळ नेटवर्क से जोडा जाय ।

11. ग्राम पंचायत में ठोस तरलता अपशिष्ट प्रबन्धन ँ(स्ंड) का कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराते हुए गॉव को स्वच्छ रखा जाय ।

12. ग्राम पंचायतों की भूमि में सोलर लाईट लगा कर ग्राम पंचायत की आय बडाई जाय तथा उच्च हिमालय वाले ग्राम पंचायतों में पन बिजली घरों की स्थापना की जाय जिससे ग्राम पंचायतों की आय के साथ–साथ आर्थिक स्थिति भी बडायी जाय ।

धन्यवाद

चमोली@2047